संख्या—1115/9—आ—4—99—704एन/67टी0सी0(5)

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।**

आवास अनुभाग—4 लखनऊ : दिनाँक : 12 मार्च, 1999

विषय :नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या—988/9—आ—4—99/704 एन0/97, टी0सी0 (5) दिनाँक 3 मार्च, 1999 में फ्री—होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री—होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या —2268/9—आ—4—704एन/97, दिनाँक 1—12—98 के माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनाँक 31—1—99 को शासनादेश संख्या 481/9—आ—4—99—704एन0/97 टी0सी0 (5) दिनाँक 30 जनवरी, 1999 द्वारा दिनाँक : 01—03—1999 तथा शासनादेश संख्या—988/ 9—आ— 4—99 —704एन0/97टी0सी0 (5) द्वारा दिनाँक 12—03—1999 तक बढ़ाई गयी थी तदनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को दिनाँक 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या—1115(1)/9—आ—4—99, तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय—नियंत्रक) अनुभाग —6
3. गोपन अनुभाग—1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।